

21/12/23

अधिवक्ता उच्च पक्ष उपस्थित।

अधिवक्ता प्राथमिक नै निवेदन

किया कि प्राथमिक प्रकारको

आगे नही चलाया चाहते हैं।

आगे नोट डेल से शारीर काम

जावे। दुकि प्राथमिक प्रकार से

आगे कोई धारणाही नही चाहते हैं।

आगे प्रकार नोट डेल से शारीर

किया जात है। वजहली केसल शुमा

होका नक्का ले काम हो एवं

मूल चार वजहली 25/12/2022 के

साथ बलगत की जावे।

Not

2023

50

सहायक कलेक्टर (सुनयन्द्र खटीक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़